संख्या–06 / सड़क सुरक्षा (कोर्ट)–6 / 2014 (खण्ड) / परि0 3751

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

संकल्प

29 जुलाई, 2015

बिहार राज्य सरकार एतद् द्वारा बिहार राज्य में लागू होने के लिए तुरंत के प्रभाव से निम्नलिखित सड़क सुरक्षा नीति घोषित करती हैः–

बिहार सड़क सुरक्षा नीति, 2015

1. **प्रस्तावना**– सड़क सुरक्षा पिछले दशक का एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है । बिहार में प्रगति हुई है और अब यह भारत में शानदार सुरक्षा रिकार्ड की स्थिति प्राप्त करने की राह पर है । चालक के व्यवहार में व्यापक परिवर्तन, बेहतर सड़क अभियांत्रिकी और वर्धित प्रवर्तन के माध्यम से अनेक जीवन बचाए गए हैं । हालांकि अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है ।
   यह सड़क सुरक्षा नीति बताती है कि शिक्षा, सड़क अभियांत्रिकी, आपात देखभाल और प्रवर्तन में सुधार लाने के लिए जब सभी पणधारी, सरकारी एजेंसियाँ और स्थानीय प्राधिकार राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर कार्य करें तो क्या प्राप्त किया जा सकता है । इसका उद्देश्य सुरक्षित सड़क नेटवर्क रखना है जो व्यापक रूप से मृत्यु और गंभीर चोट से मुक्त हो ।
2. **संकल्पना**–बिहार की सड़कों पर न किसी की मृत्यु हो और न किसी को चोट आए, इसके लिए प्रयास करना।
3. **मिशन**–राज्य में सड़कों को सुरक्षित रखकर दुर्घटनाओं, चोट और मृत्यु से बचने के लिए शिक्षा, सड़क और अन्य अधारभूत संरचना, अभियांत्रिकी, विधि प्रवर्तन एवं आपात देखभाल में पहल को लगातार मजबूती प्रदान करना ।

4. **उद्देश्य**–इस नीति के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य होंगे:–

(i) सड़कों पर अपमृत्यु की वास्तविक संख्या में विचारणीय वार्षिक कमी को प्राप्त करने का प्रयास करना ।

(i i) सड़क की आधारभूत संरचना के विकास में सुरक्षा डिजाइन और अभियांत्रिकी उपायों को अपनाकर सड़क सुरक्षा में सुधार लाना ।

(iii) प्रर्वतन और शिक्षा के माध्यम से सुरक्षित रूप से सड़क का उपयोग करने के व्यवहार को प्रोत्साहित करने लिए कदम उठाना ।

(iv) चोट की देखभाल और दुर्घटना पश्चात आपात देखभाल के लिए स्वास्थ्य और अस्पताल सेवाएं उपलब्ध करना ।

(v) सुरक्षा की दृष्टि से सख्त चालक अनुज्ञापन (लाइसेंसिंग) और वाहन निरीक्षण एवं अन्य रणनीतियां जिन्हें पालन किए जाने की आवश्यकता है ।

(vi) दुर्घटना सूचना प्रणाली डिजाइन करना और विकसित करना तथा विश्वसनीय एवं बेहतर सड़क दुर्घटना/टक्कर का डाटाबेस तैयार करना ।

(vii) संयुक्त कार्रवाई और सुधारात्मक उपाय करने के लिए विभिन्न सम्बद्ध विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु ढ़ांचा मुहैया कराना ।

5. **रणनीति**–यह महसूस किया गया है कि सड़क सुरक्षा एक अकेला सरकारी विभाग अथवा एकमात्र सरकार का अनन्य अधिकार क्षेत्र नहीं है । यह सरकार, जनता और सिविल सोसाइटी के बीच संसंजक सहक्रिया का एक कृत्य होता है । इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि टिकाउ सुरक्षा व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए अन्तरविभागीय और समन्वित दृष्टिकोण अपनाई जाए और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बिहार सरकार प्रयास करे। रणनीति में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित बिन्दुएँ सम्मिलित होंगी :–

(1) सम्बद्ध सरकारी विभागों के बीच कार्यों, नीतियों और अभ्यासों के समन्वय हेतु प्रभावी तंत्र ।

(2) सिविल सोसाइटी, मोटरगाड़ी संघ, शैक्षिक संस्थान, परिवहन संघ और व्यापार/उद्योग निकाय के साथ भागीदारी ।

(3) विभिन्न पणधारियों के बीच नियमित तालमेल और दृष्टिकोण एवं विचारों के आदान–प्रदान के लिए तंत्र गठित करना ।

(4) सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों के अनुपालन की आवश्यकता की दिशा में विभिन्न वर्गों के सड़क प्रयोक्ताओं को संवेदनशील बनाने के लिए नियमित सूचना, शिक्षा और संचार (आई0इ0सी0) अभियान को प्रोत्साहित करना एवं प्रवर्तित करना ।

(5) दुर्घटना पीड़ितों को दक्ष और प्रभावी आपात चिकित्सा सुविधा मुहैया कराकर दुर्घटना पश्चात हानि को कम करना ।

(6) राज्य सड़क सुरक्षा परिषद और जिला सड़क सुरक्षा समिति को प्रभावी बनाना और शक्ति प्रदान करना ।

(7) सड़कों पर वाहनों की संख्या को कम करने के मद्देनजर दक्ष और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को स्थापित करने का प्रयास करना ।

6. <u>प्रमुख कार्य बिन्दु</u>–सड़क सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक ढांचा मुहैया करायी जाएगी ताकि प्रभावी रूप से अपनी भूमिका निभाने के लिए पणधारी संस्थाओं को समर्थ बनाया जा सके ।

7. <u>सड़क सुरक्षा सूचना और प्रबंधन प्रणाली (आर0 ओ0 एस0 आई0 एम0 एस0):–</u>

(1) वर्तमान में राज्य का पुलिस विभाग अपने सी0आई0डी0 के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं और टक्करों पर आँकड़े एकत्र करता है और उनका मिलान करता है । आँकड़े दुर्घटना की गंभीरता, संलिप्त वाहनों की प्रकृति और दुर्घटनाओं के कारणों से संबंधित होते हैं । हालांकि ऐसे आँकड़ों के संग्रहण और प्रबंधन को और व्यापक बनाने की आवश्यकता है ताकि ऐसा प्रतिफल प्राप्त किया जा सके जो दुर्घटनाओं और टक्करों के विस्तृत नमूने (पैटर्न) और प्रवृतियों को समझने में उपयोगी हो सके । एक आँकड़ा संग्रहण और प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है जो प्रभावी सड़क सुरक्षा हस्तक्षेपों के लिए सभी पणधारियों को बहुमूल्य सूचना उपलब्ध कराए । निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए सरकार, प्रभावी सड़क सुरक्षा सूचना और प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने का प्रयास करेगी :–

(i) यह अनुकूल हो और विभिन्न सरकारी विभागों जैसे, गृह, सड़क निर्माण, ग्रामीण कार्य, परिवहन, स्वास्थ्य आदि के साथ साथ सिविल सोसाइटी, संस्थाओं/संघों और अन्य

शोध संस्थाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करे ।

(ii) डाटाबेस विभिन्न स्तरों पर सरकारी अस्पतालों, अभिघात देखभाल केन्द्रों, एम्बुलेंस सेवाओं और अन्य संबंधित सहायक सेवाओं से जुड़े हों और उन्हें उपलब्ध हों ।

(iii) राज्य के वाहन (VAHAN) और सारथी (SARATHI) डाटाबेस के साथ इसका अंतरापृष्ठ (इंटरफेस) और जी0आई0एस0 और जी0पी0एस0 रियल टाइम ट्रैकिंग को अनुकूल बनाना ।

(iv) बीमा कम्पनियों, दुर्घटना दावा अधिकरणों, अस्पतालों, अभिघात केन्द्रों और अन्य सुसंगत केन्द्रों से प्राप्त दुर्घटना के आंकड़ों के साथ इस डाटाबेस को जोड़ने का तरीका निकालना।

(2) <u>सड़क प्रयोक्ताओं के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आई0इ0सी0) क्रियाकलाप निम्नलिखित होंगे:-</u>

(i) सरकार विभिन्न सार्वजनिक सुरक्षा अभियान के माध्यम से बेहतर सड़क सुरक्षा अभ्यास की शिक्षा देने का प्रयास करेगी ।

(ii) यातायात के नियमों को पालन करने की आवश्यकता पर और हेलमेट, सीटबेल्ट आदि के प्रयोग पर जनशिक्षा के लिए आई0इ0सी0 अभियान, प्रिंट और दृश्य मीडिया के माध्यम से चलाए जायेंगे ।

(iii) तेजी से चालन, वाहन से आगे बढ़ने से संबंधित चालन, खतरनाक चालन, नशे में चालन आदि से संबंधित नियमों के पालन को प्रोत्साहित करने के लिए सुग्राहीकरण का कार्यक्रम।

(iv) सड़क दुर्घटनाओं की बहुत बड़ी सामाजिक, आर्थिक लागत तथा मानव पीड़ा जिसकी झलक दुर्घटनाओं और टक्करों में दिखाई पड़ती है, के बारे में सड़क प्रयोक्ताओं को अवगत करना।

(v) विद्यालयों में सड़क सुरक्षा को शैक्षिक कार्यक्रम का एक हिस्सा बनाना ।

(vi) सिविल सोसाइटी संगठन, उद्योग/व्यापार निकाय, परिवहन संघों, मोटरगाड़ी संघों, विद्यार्थी निकायों/संगठनों और अकादमिक संस्थाओं के साथ मिलकर सड़क प्रयोक्ताओं

के विभिन्न वर्गों के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ।

(vii) जागरूकता कार्यक्रम, चालकों के विभिन्न वर्गों और सुभेद्य समूहों जैसे बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और अशक्त व्यक्तियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देगा ।

(3) सुरक्षित सड़क आधारभूत संरचना के लिए निम्नलिखित उपाय किए जायेगेः–

(i) प्रमुख सड़कों के साथ–साथ ग्रामीण सड़कों के लिए राज्य, सुरक्षा से अभिज्ञ सड़क डिजाइन का एक मॉडल बनाएगी ।

(ii) सड़कों के ऐसे क्षेत्र जो दुर्घटना प्रवण हों और दुर्घटना के लिए बदनाम हों, की लगातार पहचान करने के लिए आवश्यक उपाय किए जायेंगे और समुचित डिजाइन और निर्माण तकनीक के माध्यम से आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जायेंगे ।

(iii) सड़क सुरक्षा की चिन्ताओं को सड़क डिजाइन और निर्माण का एक अभिन्न अंग बनाया जाएगा ।

(iv) विद्यमान सड़कों और निर्माणाधीन सड़कों अथवा बनाई जानेवाली सड़कों की सड़क सुरक्षा से संबंधित लेखापरीक्षा चरणबद्ध रीति से की जाएगी ।

(v) सड़कों पर उपयुक्त संकेत लगाए जायेंगे ।

(vi) जब और जहां अपेक्षित हो, सर्वेक्षण और सड़क डिजाइन पैरामीटर के आधार पर गति अवरोधक, जेब्रा क्रासिंग, रिफ्लेक्टर रंबल स्ट्रीप और अन्य ढांचागत अनुषंगिक चीजें लगायी जायेंगी ।

(vii सड़क नेटवर्क में टिकाउ सुधार किये जायेंगे ताकि चेतावनी संकेत, वक्र निरूपण और प्रमुख जंक्शन के सुरक्षित निरूपण को समाविष्ट किया जा सके ।

(viii) अतिक्रमण और बाधाएं जो सड़क के पूर्ण उपयोग को विपरीत रूप में प्रभावित करती हैं, चरणबद्ध ढंग से हटाए जायेंगे ।

(4).यातायात कानून का प्रवर्तन (i) यातायात और सड़क सुरक्षा संबंधी कानून के प्रवर्तन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सरकार उपयुक्त कदम उठाएगी । नियमों का प्रभावी और सतर्कतापूर्ण प्रवर्तन सड़क संबंधी आपदाओं को कम करने में बहुत हद तक उपयोगी साबित होगा ।

(ii) प्रवर्तन से संबंधित मानवशक्ति को उपयुक्त आधारभूत संरचना, उपकरण और प्रौद्योगिकी के साथ सशक्त किया जाएगा ताकि उन्हें अधिक प्रभावी ढ़ंग से अपने कार्यों को निष्पादित करने में समर्थ बनाया जा सके ।

(iii) बेहतर और प्रभावी प्रवर्तन व्यवस्था के लिए परिवहन विभाग के पदाधिकारियों और पुलिस कर्मियों के बीच समन्वय को प्रोत्साहित किया जाएगा ।

(iv) पुलिस और परिवहन विभाग के कर्मियों को लगातार प्रशिक्षण देने और उन्हें संवेदनशील बनाने की प्रणाली प्रारंभ की जाएगी ।

(v) प्रवर्तन पक्ष का आधुनिकीकरण, उन्हें आधुनिक उपकरण, प्रौद्योगिकी और प्रवर्तन का साधन मुहैया कराकर किया जाएगा ।

(vi) यातायात के नियम और विनियम के उल्लंघन के लिए घटनास्थल पर ही दंड दिया जाएगा।

(vii) पुलिस दलों द्वारा प्रमुख सड़कों पर मजबूत गश्ती प्रणाली स्थापित करने के लिए कदम उठाए जायेंगे ।

(5.) <u>दुर्घटना पीड़ितों को आपात चिकित्सा सहायता</u> (i) सरकार सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए तीव्र और प्रभावी अभिघात देखभाल मुहैया कराने की आवश्यकता को स्वीकार करती है । यदि प्रथम स्वर्णिम घंटा (गोल्डेन आवर) के दौरान अभिघात के मामलों में उपयुक्त चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाय तो अनेक जीवन बचाए जा सकते हैं ।

(ii) सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य उच्च पथों के बगल में जीवन रक्षक उपकरण और सुविधाओं के साथ अभिघात देखभाल केन्द्र स्थापित करने का प्रयास करेगी ।

(iii) सरकार द्वारा अथवा निजी अस्पतालों और निदानगृहों (क्लीनिकों) की सहभागिता से उपयुक्त स्थलों पर उन्हें उचित प्रोत्साहन प्रदान कर अभिघात देखभाल केन्द्र स्थापित किये जा सकते हैं ।

(iv) राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य उच्च पथों अथवा जहां कहीं भी अपेक्षित हों, प्रभावी एम्बुलेंस सेवाएं प्रारंभ की जाएगी ।

(v) दुर्घटना पीड़ितों की सहायता और देखभाल के संबंध में चिकित्सकों और आम नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाई जाएगी ।

(vi) राष्ट्रीय राजमार्गो और राज्य उच्च पथों के उपयुक्त स्थलों पर चरणबद्ध ढ़ंग से क्रेन सेवाएं मुहैया कराई जाएगी ।

(6.) <u>सुरक्षित चालन के लिय उपाय</u>--यह स्वीकार किया गया है कि यदि चालकों की गलतियों को कम कर दिया जाय तो बहुत हद तक सड़क दुर्घटनाएं कम की जा सकती है । चालकों की सक्षमता और दक्षता को सुधारने के लिए सरकार चालक को लाइसेंस और प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रणाली को मजबूत करेगी । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसका इरादा है :–

(i) सुरक्षा और जागरूकता अभियान चलाने की जिम्मेवारी लेना ।

(ii) अवयस्क बच्चों को वाहन चलाने से अथवा पात्र बच्चों को बिना उचित लाइसेंस के वाहन चलाने से हतोत्साहित करने के लिए माता–पिता को सुग्राही बनाना ।

(iii) नागरिकों विशेषकर बच्चों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति सुग्राही बनाने हेतु यातायात पार्क को स्थापित करने के लिए कदम उठाए जायेंगे ।

(iv) मोटर वाहन चलाते समय सीट बेल्ट बांधने, हेलमेट पहनने और मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने को दृढ़ता से लागू करना ।

(v) यह सुनिश्चित करने के लिए कि वाहन स्वामी सभी आवश्यक विनियमन का अनुपालन करें, उनकी योग्यता मानक का सख्ती से प्रवर्तन ।

(vi) निवाकर दांडिक उपबंधों को कार्यान्वित कर बुनियादी सुरक्षा आवश्यकता का उल्लंघन, नशे में रहकर वाहन चालन आदि की जांच के लिए नियमों का प्रवर्तन ।

<u>(7) शोध</u>–सरकार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और शोध पहल हेतु निधि और लेख एवं प्रतिवेदनों के प्रकाशन की पहचान पर सड़क सुरक्षा पर शोध गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगी । इस संबंध में निम्नलिखित गतिविधियां प्रारंभ की जायेगी –

(i)ऐसी संस्थाओं की पहचान करना जो राज्य में सड़क सुरक्षा शोध कार्य कर सकते हैं ।

(ii) शोध क्षेत्रों की प्रथमिकता तैयार करना ।

(iii) राज्य में सड़क सुरक्षा पहल को कार्यान्वित करने के लिए रणनीति ।

(iv) शोध कार्य में मदद पहुंचाने के लिए उपयुक्त वितीय उपकरण तैयार करना ।

(8) कानूनी और वित्तीय वातावरण की समीक्षा– प्रभावी सड़क सुरक्षा उपाय, प्रभावी कानूनी व्यवस्था और उपयुक्त निधिकरण पर समाश्रित है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि वांछित परिणाम प्राप्त हों, सरकार निम्नलिखित गतिविधियों की जिम्मेवारी लेने का प्रस्ताव करती है:–

(i) सड़क सुरक्षा को सुधारने के लिए कानूनी उपबंधों की समीक्षा करना और उन्हें अद्यतन करना ।

(ii) सड़क सुरक्षा के निधिकरण को बढ़ाने के लिए उपायों की पहचान करना ।

(iii) सड़क सुरक्षा हेतु निधि को बढ़ाने के कार्य में निजी सहभागिता को प्रोत्साहित करना ।

(iv) सरकार के तत्वाधान में "सड़क सुरक्षा निधि" स्थापित करना ।

(9) अनुश्रवण व्यवस्था निम्नलिखित होगी:–

(i) परिवहन विभाग, बिहार सड़क सुरक्षा हेतु नोडल विभाग होगा ।

(ii) परिवहन विभाग इस नीति को लागू करने हेतु अन्य विभागों/ पणधारियों के साथ समन्वय स्थापित करेगा ।

(iii) परिवहन विभाग द्वारा अन्य विभागों एवं पणधारियों से विचार प्राप्त कर कार्य योजना तैयार करेगी जिसका अनुमोदन राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् द्वारा किया जायेगा ।

(iv) राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् सुरक्षा नीति एवं कार्य योजना की त्रैमासिक समीक्षा करेगी।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

E:\Pooja\...Safety Policy.Docx

ज्ञापांक–06/सड़क सुरक्षा (कोर्ट)–6/2014 (खण्ड)/ परि0 3751 पटना, दिनांक– 29.07.2015

प्रतिलिपि : सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–06/सड़क सुरक्षा (कोर्ट)–6/2014 (खण्ड)/ परि0 3751 पटना, दिनांक– 29.07.2015

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना, संयुक्त सचिव, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

2. संकल्प की 100 (एक सौ) प्रतियां कार्यालय व्यवहार्थ इस विभाग को भेजी जाए।

सरकार के प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–06/सड़क सुरक्षा (कोर्ट)–6/2014 (खण्ड)/ परि0 3751 पटना, दिनांक– 29.07.2015

प्रतिलिपि : सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के परिवहन आयुक्त/सचिव, सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार/सचिव, सड़क सुरक्षा कमिटी, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

No.-06/SARADAK SURAKSHA (COURT)-6/2014 (KHAND)/TR. 3751

Governmetn of Bihar
Transport Department

Resolution

29th JULY, 2015

The State Government of Bihar is hereby declare the following Road Safety policy for the application in the State of Bihar with immediate effect:-

BIHAR ROAD SAFETY POLICY, 2015

1.**PREAMBLE**- Road safety is an important issue of the last decade. Bihar has made progress and now is on its way to reach a position of excellent safety records in India. Many lives have been saved through widespread changes in driver behavior, better road engineering and enhanced enforcement. However, there is still a long way to go.

This Road Safety Policy brings out what can be achieved when all stakeholders, government agencies and local authorities work together with the State Road Safety Council and many others to improve education, road engineering, emergency care and enforcement. The objective is to have a safe road network increasingly free of deaths and serious injuries.

2. **VISION**- Strive for zero deaths and injuries on the roads of Bihar because every life counts.

3. **MISSION**- Continue to strengthen the initiatives in education, road and other infrastructure, engineering, law enforcement and emergency care to eliminate accidents, injuries and deaths to have safe roads in the state.

4. **OBJECTIVES-** Following will be the main objectives of the policy:-

i. Make efforts to achieve considerable annual reduction in the actual number of fatalities on roads.

ii. Improving road safety by embedding safety design and engineering measures in development of road infrastructure.

iii. Take steps to encourage safer road use behavior through enforcement and education.

iv. Provide health and hospital services for trauma care and post crash emergency care.

v. Stricter driving licensing and vehicle inspection from safety angle and other strategies that need to be pursued.

vi. Design and develop Accident Information System and create a credible and sound road crash/accident database.

vii. Provide framework for coordination among various concerned departments for taking joint action and corrective measures.

5. **STRATEGY-** It is realized that Road Safety is not the exclusive domain of one single government department or government alone. It is a function of a cohesive synergy between government, public and civil society. Therefore it is important that interdepartmental and coordinated approach is adopted to achieve sustainable safety regime, and the state of Bihar will strive to achieve this goal. The strategy will involve, inter alia, the following points :-

1. An effective mechanism for coordination of action, policies and practices between concerned government departments.

2. Partnership with civil society, Automobile Associations, Educational Institutions, Transport Association and Trade/Industry Bodies.

3. Institute mechanism for regular interaction and sharing of views and ideas between various stakeholders.

4. Promote and launch regular Information, Education and Communication (IEC) campaigns to sensitize various category of road users towards the need to follow rules regarding Road Safety.

5. Reduce the post-accident harm by providing efficient and effective emergency medical response to accident victims.

6. Energize and make effective the State Road Safety Council and District Road Safety Committee.

7. Strive to create an efficient and safe public transport system with a view to reduce the load of vehicles on roads.

6. <u>**KEY ACTION POINTS-**</u> In order to ensure Road Safety Measures necessary support structures will be provided to enable the stakeholder institutions to perform their roles effectively. Some of the important points of action are as follows :-

7. **Road Safety Information and Management System [ROSIMS]**

1. Currently the Police Department of the State through its CID wing collects and collate data on road accidents and crashes. The data relates to severity of the accident, nature of the vehicle involved and causes of accidents. However this data collection and management needs to be made more holistic in order to generate outputs that can be useful in understanding the broader pattern and trends of accidents and crashes. The need is to create a data collection and

management system that yields valuable information available to all stakeholders for effective road safety interventions. Government will seek to create an effective Road Safety Information and Management System to ensure:

i. It suits and addresses the needs of various government departments like Home, Road Construction, Rural Works, Transport, Health, etc as well as Civil Society, Institutions/ Associations and other Research Institutions.

ii. That the data base is connected and available to government hospitals at various levels, trauma care centers, ambulance services and other related support services.

iii. Its interface with VAHAN and SARATHI database of the State and to make it compatible to GIS and GPS real time tracking.

iv. To devise methods of supplementing this database with accident data from Insurance Companies, Accident Claim Tribunals, Hospitals, Trauma Centers and other relevant sources.

2. **Following will be <u>Information, Education and Communication (IEC) activities for Road Users</u> :**

i. Government will strive to inculcate good Road Safety Practices through various Public Safety Campaigns.

ii. IEC campaigns will be launched through print and visual media for mass education on the necessity of following traffic rules and on the use of helmets, seat belts, etc

iii. Sensitization programmes to promote adherence to rules regarding, speeding, overtaking, dangerous driving, drunken driving etc.

iv. Road users will be made aware of the tremendous social, economic cost of road accidents and the human suffering that incidents of accidents and crashes entail.

v. Make Road Safety a part of educational programme in schools.

vi. Awareness campaigns will be made a continuous feature for the various category of Road Users in association with Civil Society Organisation, Industry/Trade bodies, Transport Associations, Automobile Associations, Student Bodies/ Organisations and Academic Institutions.

vii. Awareness programmes will lay special focus on various category of drivers and on the safety of vulnerable groups like children, senior citizens and persons with disability.

3. **The following measures will be taken for Safe Road Infrastructure :-**

i. State would create a model for safety conscious Road Design models for major roads as well as rural roads.

ii. Necessary measures will be taken to identify on a continuous basis such areas of roads that are accident prone and black spots and necessary corrective measures will be taken through appropriate design and construction techniques.

iii. Roads Safety concerns will be made an integral part of road design and construction.

iv. Road Safety Auditing of existing roads and roads under construction or to be constructed would be carried out in a phased manner.

v. Appropriate signage's would be installed on the roads.

vi. As and where required, based on survey and road design parameters, speed breakers, zebra crossings, reflectors rumble strips and other structural ancillaries would be put in place.

vii. Sustainable improvement would be made in road network to incorporate warning signs, curve treatments and safer treatment of major junctions.

viii. Encroachment and obstructions that adversely affect the full use of roads will be removed in a phased manner.

4. **Enforcement of Traffic Laws:**

i. The Government would take appropriate steps to improve the quality of enforcement of traffic and road safety related laws. Effective and vigilant enforcement of rules will go a long way in reducing road related disasters.

ii. Strengthen the enforcement related manpower with appropriate infrastructure, equipment and technologies to enable them to perform their duties more effectively.

iii. Promote coordination between police personnel and officers of the Transport Department for better and effective enforcement regime.

iv. Initiate a system of continuous training and sensitization of Police and Transport Department Personnel.

v. Modernization of the enforcement wing will be undertaken by providing them modern tools, technologies and instruments of enforcement.

vi. Enforcement of spot penalty for violation of traffic rule and regulations.

vii. Steps will be taken to establish a system of strong highway patrolling on major roads by police teams.

5. **Emergency Medical Assistance to Accident Victims:**

i. The Government recognizes the need to provide speedy and effective trauma care to victims of road accidents. Many lives can be saved if

appropriate medical assistance is provided to trauma cases during first 'Golden Hour'.

ii. Government will strive to create trauma care centre facilities along the NHs and SHs with life saving equipment and facilities.

iii. Trauma care centers can be established by Government or in partnership with private hospitals and clinics at appropriate places by providing them appropriate incentives.

iv. Effective Ambulance Services shall be introduced on NHs and SHs or wherever else required.

v. Awareness shall be disseminated among medical practioners and common citizens regarding assistance and care of accident victims.

vi. Crane Services on NHs and SHs shall be provided at appropriate places in a phased manner.

6. **Measures for Safe Driving** :- It is recognized that the incidence of road accidents can be to a great extent minimized if errors made by drivers is reduced. The Government would strengthen the system of driver licensing and training to improve the competence and efficiency of drivers. Towards such end it intends to :-

i. Undertake safety and awareness campaigns.

ii. Sensitize parents to discourage their minor children from driving or eligible children from driving without appropriate license.

iii. Steps will be taken to create a 'Traffic Park' to sensitize citizens, especially children, regarding road safety and traffic rules.

iv. Enforce fastening of seat belts, wearing of helmets and non-use of mobile phones while driving a motor vehicle.

v. Stringent enforcement of fitness standard of vehicles to ensure they comply with all necessary regulations.

vi. Enforcement of rules to check violation of basic safety requirement, drunken driving etc, by implementing deterrent penal provisions.

7. **Research**:- Government will promote research activity on road safety by identifying priority areas and fund research initiatives and publications of papers and reports. Following activities will be initiated in this regard:-

i. Identification of institutions who can carry out road safety research work in the state.

ii. Prepare priority of research areas.

iii. Strategy for implementing Road Safety initiatives in the State.

iv. Creating appropriate financial instrument to facilitate research.

8. **Review of Legal and Financial Environment**:- Effective Road Safety measures are contingent upon an effective legal regime and appropriate funding. Government proposes to undertake following activities to ensure that the desired outcomes are achieved :

i. Review and updation of legal provisions for improving Road Safety.

ii. Identify measures for augmenting funding for Road Safety.

iii. Encourage private participation in the task of raising funds for Road Safety.

iv. Create a 'Road Safety Fund' under the aegis of Government.

9. **Following will be the Monitoring Mechanism:-**

i. Transport Department, Bihar will be nodal department for road safety .
ii. Transport Department will work as lead agency and will coordinate with other departments/stakeholders for implementation of this policy.
iii. Action Plan will be developed by Transport Department, Bihar in consultation with other departments and stakeholders and approved by State Road Safety Council.
iv. State Road Safety Council will monitor the progress of implementation of this policy and action plan on quarterly basis.

Order – Order to publish the resolution in the Bihar Gazette and copy forwarded to the all Departments/all Heads of Departments for kind information.

By Order of the Governor of Bihar

Principal Secretary
to the Government of Bihar,
Transport Department

Memo No- No.-06/Saradak Suraksha (Court)-6/2014 (Khand)/Tr. 3751 Patna Date : 29.07.2015

Copy forwarded to All Departments/All Heads of the Departments/Chief Secretary, Bihar/All Commissinors/AllDistrict Miagistrates/All Superintendents of Police/All Regional Transport Authorities/All District Transport Officers/ for kind information and necessary action.

Principal Secretary
Government of Bihar,
Transport Department

Memo No- No.-06/Saradak Suraksha (Court)-6/2014 (Khand)/Tr. 3751 Patna Date : 29.07.2015

Copy with its soft copy forwarded the Superintendent, Government Press, Guljarbag, Patna, Joint Secretary, E-Gazatte, Finance Department, Bihar with a request to publish the notification in an extra ordinary issue of the Bihar Gazatte and suppy to one hundred (100) copies of this notification to this department

Principal Secretary
Government of Bihar,
Transport Department

Memo No- No.-06/Saradak Suraksha (Court)-6/2014 (Khand)/Tr. 3751 Patna Date : 29.07.2015

Copy forwarded to Transport Commissioners of All States/UTs/ Secretary, Ministary of Raod Transport & Highways, Government of India/Secretary, Road Safety Committee, New Delhi for information and necessary action.

Principal Secretary
Government of Bihar,
Transport Department